न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 38 / 2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 163
टेकचन्द पुत्र डूंगरराम मोची वार्ड नं. 33 नजदीक बिजली बोर्ड अनूपगढ़

बनाम

उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़

<u>अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम</u>

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 21.10.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थी द्वारा वांछित नकलें उपलब्ध नहीं करवाये जाने के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ ने अपने पत्रांक / आरटीआई / 2024 / 584 दिनांक 21.10.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा किया गया आवेदन दिनांक 03.06.2024 दिनांक 05.07.2024 को खारिज किया गया व जिसकी सूचना प्रार्थी को न्यायालय के पत्रांक / आरटीआई / 2024 / 439 दिनांक 05.07.2024 से भिजवा दी गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी का कथन हैं कि प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी के द्वारा उन्हें वांछित नकले उपलब्ध नहीं करवाई गयी है इसके विपरीत प्रत्यर्थी का कथन है कि उनके द्वारा अपीलार्थी का आवेदन निरस्त करते हुए उन्हें सूचना प्रेषित की गयी थी। प्रत्यर्थी के द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक / आरटीआई / 2024 / 439 दिनांक 05.07.2024 की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गई है कि "आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किये गये आवेदन 03.06.2024 में आप द्वारा वांछित सूचना से संबंधित पूर्ण विवरण यथा प्रकरण संख्या, निर्णय दिनांक, पूर्ण अनवान आदि नहीं दिया गया है। अतः पूर्ण विवरण के अभाव में पत्रावली की तलाश की जानी संभव नहीं है। सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की वयाख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उतर देना अपेक्षित नहीं है। फलतः आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किया गया आवेदन खारिज किया जाता है। आप उक्तानुसार पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाकर या स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर रिकार्ड की जमा सूचियों का अवलोकन कर नियमानुसार वांछित पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते है।"

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक से वांछित सूचना के संबंध में विशिष्टियां अंकित किया जाना अपेक्षित हैं। लोक सूचना अधिकारी से सूचना जिस स्वरूप में उपलब्ध हो उसी स्वरूप में प्रदान किया जाना अपेक्षित है तथा कार्यालय संसाधनों को प्रभावित करते हुए सूचना की तालाश कर अथवा तथ्यों में से सूचना को खोजकर आवेदक को उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित नहीं हैं। प्रकरण में अपीलार्थी के द्वारा लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन पत्र में वांछित सूचना से संबंधित विशिष्टियों का अंकन नहीं किया गया है जिस हेतु प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को आवेदन निरस्त करते हुए प्रतिउत्तर प्रेषित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं न्यायिक प्रकरण से संबंधित है जिसकी न्यायालय से प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु पृथक से विधि है, अपीलार्थी न्यायालय के समक्ष विधि अनुरूप आवेदन प्रस्तुत कर प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकते है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा पारित विनिश्चय से हम सहमत है। अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ / पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

(अवधेश मीना)
I.A.S
जिला कलक्टर अनूपगढ़
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़